23-01-2024

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल रवि कुमार पुत्र गोपालराम, जाति– सैन, निवासी– उड, पुलिस थाना बरलुट, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित। गैरसालय को आरोप पढ़कर सुनाये गये। गैरसायल ने आरोपों को अस्वीकार कर अनवीक्षा चाही। प्रकरण में गैरसायल के अधिवक्ता ने गैरसायल की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रस्तुत इस्तगासे को खारिज किये जाने का अनुरोध किया। बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत इस्तागसा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल आले दर्जे का चोर प्रवृति का है, जो कई स्थानों पर मोटरसाईकिल चोरी

रवि

......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Scanned with ACE Scanner

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 09/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की है। जिससे आम जन को सम्पति नुकसान होकर समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नही लग पाई है। गैरसायल के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने को तैयार नही है। गैरसायल के विरुद्ध चोरी के कुल 9 प्रकरण दर्ज हुये है एवं उक्त 5 प्रकरणों में नतीजा चालान पेश अदालत किये गये है, फिर भी उक्त गैरसायल चोरी करने से बाज नही आ रहा है, इसके कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था, आम जन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल निरन्तर आपराधिक प्रवृति में लिप्त है जो चोरी करने का आदतन है, जिससे आम जनता में भय व्याप्त है व लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है, निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर लोगों का अविश्वास प्रकट होता है। अतः गैरसायल को जिलें से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध गलत परिवाद दर्ज कराया है। एक ही दिनांक के दर्ज प्रकरणों में पुलिस थाना बरलुट द्वारा गैरसायल को गलत रुप से मुकदमों में फंसाया है, जो अभी तक संबंधित न्यायालय में लम्बित है व इनमें ट्रायल चल रही है। गैरसायल को उक्त मुकदमों में किसी भी न्यायालय ने दोषसिद्ध नही ठहाया है। गैरसायल के विरुद्ध गलत अनुसंधान के आधार पर गलत रुप से आरोप पत्र प्रस्तुत किये है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा भी गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासें में जो भी आरोप लगाये गये है वह मिथ्या है। गैरसायल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने तथा उक्त सभी मुकदमों में एक साथ गलत फंसाने से या आरोप पत्र पेश होने से कोई अपराध प्रमाणित नही होता है। गैरसायल गुजरात राज्य में बाल कटिंग करने का कार्य करता है एवं शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल आपराधिक प्रवृति का नही है व न ही गैरसायल के विरुद्ध मारपीट, बलवा या गंभीर मुकदमें दर्ज हुये है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है। अतः प्रस्तुत इस्तगासें को खारिज किया जावे। (5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, बरलुट में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत अपराध संख्या 41 दिनांक 16.2.2022, 144 दिनांक 21.9.2022, [illegible] दिनांक 07.11.2022, 166 दिनांक 18.11.2022, 175 दिनांक 12.[illegible] दिनांक 10.11.2022, 275 दिनांक [illegible] दिनांक 27.9.2022 व 353 दिनांक 12.1[illegible] में से अपराध संख्या ......लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with ACE Scanner

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 09/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

144/21.9.2022, 163 दिनांक 07.11.2022, 166 दिनांक 18.11.2022, 06 दिनांक 10.11.2022 व 316 दिनांक 05.3.2023 में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त सभी अपराधों के प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां व उक्त पांच मुकदमों में संबंधित न्यायालयों में प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त नौ अपराधों में से अपराध संख्या 141/16.2.2022, 144/21.9.202 व 163 दिनांक 07.11.2022 को छोड़कर गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त शेष 6 अपराध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा– 3 के तहत इस्तगासा दिनांक 12.4.2022 को प्रस्तुत होने व दिनांक 13.4.2022 से गैरसायल के विरुद्ध यह कार्यवाही प्रारम्भ करने से तत्काल पूर्व छः मास की कालावधि में दर्ज हुये है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(i) में वर्णित अपराध करने के 6 प्रकरण उक्त अवधि में गैरसायल के विरुद्ध दर्ज अवश्य हुये है, लेकिन गैरसायल को सक्षम न्यायालय द्वारा अभी तक उक्त अपराधों में दोष सिद्ध नही ठहराया है तथा न ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 12.11.2022 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है एवं न ही ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है।

पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि गैरसायल से आमजन में कोई भय व्याप्त है। गैरसायल के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने, बलवा करने, आम जन को धमकी देने, महिलाओं व लडकीयों से छेडछाड या अशिष्ट टिप्पणी करने, हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा विधि पालक लोगों को अभिजासित करने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में, हमारे विनम्र अभिमत में पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नही होने से खारिज किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत हेाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नही होने से खारिज किया जाता है एवं गैरसायल की न्यायालय में उपस्थित बाबत् प्रस्तुत बन्ध पत्र व जमानत पत्र निरस्त किये जाते है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 23 जन[illegible] 20[illegible] को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with ACE Scanner